



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64652

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4065/2026

नितिन

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

...विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: अर्जुन सिंह सोलंकी

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय सं० - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह सोलंकी एवं राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री ओ.पी. सिंह को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत आवेदक नितिन की ओर से, मुकदमा अपराध संख्या 437 सन् 2025, अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(3), 109(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4/24 शस्त्र अधिनियम, थाना सहावर, जिला कासगंज में विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना हेतु दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि आवेदक को सूचनादाता के पति अर्थात् घायल के उदर पर धारदार हथियार से प्रहार की विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है, किन्तु सूचनादाता एवं घायल दोनों ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष शपथपत्र दाखिल किया है

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जिसमें कहा गया है कि हमलावर की पहचान नहीं हो सकी क्योंकि घटना रात में हुई थी और हमलावर ने पीछे से आक्रमण किया था। आवेदक, जो दि० 13.08.2025 से कारागार में बन्द है, वचन देता है कि यदि जमानत दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया कि न्यायालय में मामलों की भारी लम्बितता को दृष्टिगत रखते हुए विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई सम्भावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत आवेदन का विरोध किया।

5. यद्यपि आवेदक को घायल के उदर पर धारदार हथियार से प्रहार की विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है, किन्तु सूचनादाता एवं घायल ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष शपथपत्र दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि हमलावर की पहचान नहीं हो सकी क्योंकि घटना रात में हुई और हमलावर ने पीछे से आक्रमण किया। आवेदक दि० 13.08.2025 से कारागार में बन्द है।

6. तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित प्रकृति एवं साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त तथा मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मैं इसे जमानत हेतु उचित मामला पाता हूँ। अतः यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. आवेदक- **नितिन** को उपरोक्त प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर रु० 50,000/- के व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों के प्रकटीकरण से विरत करने के लिए प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डरायेगा-धमकायेगा नहीं।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) मामले की सुनवाई, (ii) आरोप विरचन एवं (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलेखन की नियत तिथियों पर व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर, जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, वह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिमत की अभिव्यक्ति नहीं माना जायेगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पूर्णतः स्वतंत्र रूप से अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

25 मार्च, 2026

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”